




(2)

9. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(मा. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)



(डॉ. के.पी. साहू)  
सचिव

म०प्र०नि०वि०वि०आयोग, भोपाल  
दिनांक /10/2023

पृष्ठांकन...../ म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल/अका-1/2023-24  
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक के माध्यम से मा. अध्यक्ष महो, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल।
2. कुलसचिव, प्रेस्टिज विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ती।

/  
सचिव  
म०प्र०नि०वि०वि०आयोग, भोपाल